**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2925**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**देश में अवैध अप्रवासी**

**2925. श्री देरेक ओब्राईनः**

**श्री मो॰ नदीमुल हकः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार के पास देश में निवास करने वाले अवैध अप्रवासियों के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) वर्तमान में अपराध दोषसिद्धि के लिए भारतीय कारागृहों में कितने अवैध अप्रवासी कैद हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) सरकार ने उन्हें अपने मूल देश भेजने हेतु मदद करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क): अवैध अप्रवासी दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं – (1) ऐसे विदेशी राष्ट्रिक जिन्होंने वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत में प्रवेश किया तथा जिन्हें निर्धारित समय सीमा के बाद रहता पाया गया तथा (2) ऐसे विदेशी राष्ट्रिक जिन्होंने वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश किया। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, 7,685 विदेशी निर्धारित समय-सीमा के बाद रहते हुए पाए गए थे। राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। चूंकि ऐसे विदेशी राष्ट्रिक जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं हैं, उनका देश में प्रवेश चोरी-छिपे और छद्म तरीके से होता है, अतः, देश में रह रहे ऐसे अवैध अप्रवासियों की कुल संख्या का कोई सटीक अनुमान नहीं है।

(ख): केन्द्रीकृत रूप से जानकारी नहीं रखी जाती है।

-2-

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 2925

(ग): जब कभी भी किसी विदेशी राष्ट्रिक को वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित समय-सीमा के बाद भारत में रहते हुए अथवा किसी वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर रहते हुए पाया जाता है, तो विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के संगत प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जिसमें ऐसे विदेशी राष्ट्रिक को निर्वासित करना भी शामिल है। विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत विदेशी राष्ट्रिकों को निर्वासित करने की शक्तियां केन्द्र सरकार में निहित हैं। अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की ये शक्तियां राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और आप्रवासन ब्यूरो को भी प्रदान की गई हैं।

अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गयी थी और नवम्बर, 2009 में इसे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। इसे फरवरी, 2011 में आंशिक रूप से आशोधित तथा फरवरी, 2013 में फिर से अशोधित किया गया था।

------------

-3-

**अनुलग्नक**

**राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 2925**

**दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार देश में निर्धारित समय सीमा के बाद रह रहे विदेशियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़े**

|  |  |
| --- | --- |
| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **निर्धारित समय-सीमा के बाद रह रहे विदेशी** |
| **आन्ध्र प्रदेश** | **178** |
| **असम** | **3** |
| **बिहार** | **14** |
| **चंडीगढ़** | **23** |
| **छत्तीसगढ़** | **13** |
| **दादरा और नगर हवेली** | **1** |
| **दमण और दीव** | **3** |
| **दिल्ली** | **3083** |
| **गोवा** | **60** |
| **गुजरात** | **146** |
| **हरियाणा** | **284** |
| **हिमाचल प्रदेश** | **10** |
| **जम्मू और कश्मीर** | **18** |
| **झारखंड** | **3** |
| **कर्नाटक** | **1182** |
| **केरल** | **71** |
| **मध्य प्रदेश** | **26** |
| **महाराष्ट्र** | **910** |
| **मणिपुर** | **6** |
| **मेघालय** | **15** |
| **मिजोरम** | **1** |
| **नागालैंड** | **1** |
| **ओडिशा** | **1** |
| **पुदुचेरी** | **47** |
| **पंजाब** | **194** |
| **राजस्थान** | **159** |
| **तमिलनाडु** | **492** |
| **तेलंगाना** | **357** |
| **त्रिपुरा** | **1** |
| **उत्तर प्रदेश** | **212** |
| **उत्तराखंड** | **15** |
| **पश्चिम बंगाल** | **156** |
| कुल | **7685** |

---------